



सुधा श्वेत मक्खन एवं घी विक्रय हेतु

निविदा पत्र

1. निविदाकर्ता का नाम :
2. फर्म का नाम (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें) :
3. स्थाई/वर्तमान पता :
.....
.....
.....
4. सुधा श्वेत मक्खन/घी क्रय की जाने वाली मात्रा (न्यूनतम 100 मी.टन या इनसे अधिक 15 मी.टन के गुनांक में) प्रपत्र संख्या 03 में अंकित करें।
5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर :
6. ई-मेल :
7. आधार कार्ड नम्बर (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)
8. पैन कार्ड नम्बर (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)
9. GSTIN (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)
10. FSSAI (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)

मेरे द्वारा सुधा श्वेत मक्खन एवं घी क्रय हेतु इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। निविदा पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम



वित्तीय बोली (Financial Bid) (प्रारूप)

निविदाकर्ता की फर्म का नाम

1) सफेद मक्खन (WB)

सामग्री का नाम	भंडार स्थल	समग्री की मात्रा	क्रय मात्रा (MT में)	प्रस्तुत दरें अंको में रु० प्रति किलो वेसिक दर Fixed rate basis (Min 82% Fat)	प्रस्तुत दरें शब्दों में रु० प्रति किलो
सफेद मक्खन (WB) (As per BIS Standard)	मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी (बिहार)	210 MT दिसम्बर 2023 से उत्पादित			
नोट GST अतिरिक्त Ex-Plant आधारित					

नोट :- यदि दरें दुग्ध संघ की लाभात्मकता के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो निविदा प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर/सील
हैसियत



प्रपत्र क्रमांक - 2 (पृष्ठ-2)

वित्तीय बोली (Financial Bid) (प्रारूप)

2) घी

सामग्री का नाम	भंडार स्थल	समग्री की मात्रा	क्रय मात्रा (MT में)	प्रस्तुत दरें अंको में रु0 प्रति किलो वेसिक दर	प्रस्तुत दरें शब्दों में रु0 प्रति किलो
घी (As per FSSAI Standard)	मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी (बिहार)	50 MT फरवरी 2024 से उत्पादित			
नोट GST अतिरिक्त Ex-Plant आधारित					

नोट :- यदि दरें दुग्ध संघ की लाभात्मकता के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो निविदा प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर/सील
हैसियत



सुधा श्वेत मक्खन (WB) एवं घी विक्रय हेतु आवश्यक शर्तें

- (1) निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. न० एवं FSSAI लाइसेंस होना अनिवार्य है। जी.एस.टी. न० एवं PAN उपलब्ध न कराने की दिशा में निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (2) निविदाकार की दर स्वीकृत होने पर श्वेत मक्खन एवं घी की प्रदायगी डेयरी संयंत्र से Ex-Factory दर पर प्रदान की जायेगी, जिस पर सभी वैधानिक कर अलग से देय होगा।
- (3) सुधा मक्खन एवं घी क्रय की गई मात्रा निविदाकार द्वारा स्वयं के वाहन से उठाना होगा एवं इस हेतु अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा। परिवहन कार्य हेतु कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
- (4) चयनित निविदाकार (H-1) को सुधा मक्खन एवं वसा युक्त दुग्ध चूर्ण निविदा दर अनुमोदन उपरांत 01 माह की समयावधि में समस्त सामग्री का निविदादाता द्वारा उठाव किया जाना आवश्यक है।
- (5) निविदादाता को क्रय के अनुसार अग्रिम राशि संबंधित दुग्ध संघ के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से जमा कराना होगा, जिसके पश्चात ही सुधा मक्खन एवं वसा युक्त दुग्ध चूर्ण की प्रदायगी की जाएगी।
- (6) निविदाकार द्वारा सम्पूर्ण अग्रिम राशि जमा करने के पश्चात ई-मेल के माध्यम से वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मोबाईल नम्बर एवं लाइसेंस

पृष्ठ- 1



आदि देना अनिवार्य होगा।

- (7) सुधा मक्खन एवं वसा युक्त दुग्ध चूर्ण की गुणवत्ता, परीक्षण, निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष किया जाएगा। संयंत्र के गेट के बाहर गुणवत्ता संबंधी समस्त जवाबदेही निविदाकार की होगी।
- (8) किसी भी निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध निदेशक (तिमुल) के पास सुरक्षित रहेगा।
- (9) निविदा के विपत्र में विशेष जानकारी हेतु श्री दीपक कुमार, सहायक प्रबंधक, डेयरी मोबाईल नम्बर 7070992929 एवं श्री संजय कुमार (क्रय शाखा) मोबाईल नम्बर 7260812769 पर संपर्क किया जा सकता है।

नोट - यह निविदा केवल सुधा श्वेत मक्खन एवं घी विक्रय करने हेतु प्रकाशित की गई है।

मेरे द्वारा सुधा मक्खन एवं घी विक्रय के अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 09 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरे उपर उचित कारवाई की जा सकती है, इस हेतु अपनी सहमती देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

नोट :- (निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज निविदाकार द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर समर्पित करना अनिवार्य होगा)

पृष्ठ-2